अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–180/2014

अपीलार्थी – पुनम कुमारी उर्फ पुनम देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1040/प्रो0 दिनांक 28.02.2014 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में आरोप यह है कि दिनांक 22.07.2013 को 3:45 बजे अपराह्न में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा राघोपुर परियोजना के केन्द्र सं0– 126 सत कोदरिया का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त तिथि को टी0एच0आर0 वितरण दिवस था। निरीक्षण के समय टी0एच0आर0 प्राप्त करने वाले एक भी लाभार्थी मौजूद नहीं थे, केन्द्र पर नाम बोर्ड, फ्लैक्सी, मीनु चार्ट, लाभार्थी की सूची भी उपलब्ध नहीं था।

केन्द्र पर पाई गई अनियमितताओं के संबंध में कार्यालय ज्ञापांक 1826/प्रो0 दिनांक 13.12.2013 द्वारा सेविका श्रीमती पुनम कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग की गई, एवं निर्धारित तिथि 28.12.2013 को सेविका अपने स्पष्टीकरण पक्ष के साथ उपस्थित हुई। सेविका ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि निरीक्षण के समय जो अनियमितताऐं पाई गई है, वह विशेष परिस्थितिवश हुई। टी0एच0आर0 का वितरण सामान्यतः 12:00 से 3:00 बजे दिन तक

प्रायः हो जाता है, केन्द्र पर लाभुक वर्ग मजदुर वर्ग के थे जो धान रोपनी में लगें थें रोपनी के कारण उस समय तक उपस्थित नहीं हो पाये। लाभुक वर्ग के जो मजदूर थे, रोपनी में लगे थें, उनमें से कुछ लाभुकों ने आकर बताया कि वे लोग रोपनी के बाद आकर टी0एच0आर0 प्राप्त कर लेंगे, उन्होंने बताया कि धान रोपनी के बाद वे लोग सेविका के घर पर आकर ही टी0एच0आर0 प्राप्त कर लेंगे, ऐसा बताया गया। साईन बोर्ड, फ्लैक्सी बोर्ड, मीनु चार्ट, लाभार्थी की सूची के संबंध में बताया कि केन्द्र अस्थाई रूप से रहने के कारण नहीं लगाया था।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई, जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता /सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई में भाग लिया, एवं अपना –अपना पक्ष सबूत, कागजात उपलब्ध कराए। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का आदेश त्रुटिपूर्ण है, इस बात से कि इसमें Asper sprit of Law का उल्लघंन किया गया है। आदेश Routine manner में दिया गया है न्यायिक दृष्टि का उपयोग नहीं किया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का चयन मुक्ति आदेश दिनांक 28.02.2014 को जो किया गया यह आदेश सी0डी0पी0ओ0 राघोपुर द्वारा पत्रांक 103 दिनांक 23.03.2014 से अपीलार्थी सेविका को दिनांक 23.03.2014 को हस्तगत कराया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षण तिथि 22.07.2013 को भी सेविका पूनम देवी द्वारा लाभुक वर्ग के बच्चों के बीच स्कूल पूर्व शिक्षा एवं पूरक पोषाहार का वितरण किया है तथा उस तिथि को भी लाभुक वर्ग के लोगों के बीच टीएच0आर0 वितरण निर्धारित मात्रा एवं मीनू के अनुसार किया गया है उन्होंने यह भी बताया कि निरीक्षी पदाधिकारी के केन्द्र पर कुछ घंटे रूकने के पश्चात् भी किसी भी लाभुकों बच्चों उनके अभिभावकों ने यह बयान नहीं दिया है कि टी0एच.0आर0 का वितरण नहीं किया जाता है या कम मात्रा में दिया जाता है या पूर्व में भी नहीं किया गया। टी0एच0आर0 का वितरण लाभुक मजदुर वर्ग के धान रोपनी के बाद पहुँचने पर 4:30 बजे अपराह्न में कर दिया गया, जिसका वितरण पंजी भी अवलोकन कराया गया। किसी भी लाभुक वर्ग के लोगों ने यह नहीं शिकायत किया कि सेविका केन्द्र संचालन, पोषाहार वितरण में गड़बड़ियां करती है या कम मात्रा में पका अनाज/कच्चा अनाज (पोषाहार) मिलता है। उन्होंने विभागीय मार्गदशिका के पत्रांक 2012

/956 दिनांक 14.03.2012 के कंडिका (iii)(i) का हवाला देते हुए बताया कि केन्द्र पर पाए गए हर अनियमितताऐं के लिए लाभुकों के तीन बयान लिये जाने चाहिए, किन्तु यहाँ तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने किसी भी लाभुक वर्ग का न तो लिखित बयान लिये और न ही इस बात का जाँच किए कि केन्दों पर लाभुक वर्ग के बीच टी0एच0आर0 का वितरण सही मात्रा में किया गया है या नहीं, सिर्फ अनुमान लगा लेने से सही निर्णय /निष्कर्ष पर पहुँचने में सही निर्णय नहीं होता है ज्यादातर मामले में गलत निर्णय होते है।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का चयन मुक्ति आदेश खंडित करने योग्य है, त्रुटिपूर्ण आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के द्वारा पारित आदेश C.w.J.C.No-19101/2013 प्रियंका कुमारी /v/s राज्य एवं अन्य कई मामलों में आदेश पारित किए है कि अनुमान लगाकर निर्णय लेना त्रुटिपूर्ण है, बल्कि निर्णय लेने से पहले इसकी Proper veri fication किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने यह बताया कि टी0एच0आर0 वितरण का समय 12:00 बजे अपराह्न से लेकर 4:00 बजे अपराह्न तक होता है यानी जबतक सभी लाभुको को वितरण नहीं हो वितरण का कार्य जारी रहना चाहिए वितरण भी निर्धारित मात्रा में कुपोषित/अतिकुपोषित गर्भवती /धातृ माताओं के बीच पैकेट बनाकर अलग– अलग चावल+दाल +सोयाबीन का पैकेट बनाकर किया जाना चाहिए। यहाँ तो 3.45 बजे तक वितरण शूरू भी नहीं किया गया था जो सेविका की कार्यकुशलता /उदासीनता को दर्शाता है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ठीक है कि सेविका ने टी0एच0आर0 का वितरण 4:30 के वाद शुरू ही किया चूँकि जो भी लाभुक थे वह मजदुर वर्ग के थे वर्षा होने से उन्हें शीघ्र धान रोपनी करनी थी, यह भी कार्य काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर खेत से पानी सूख जाता या खत्म हो जाता तो धान की रोपनी नहीं होती। वह भी काम मजदुर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण व अहम कार्य था टी0एच0आर0 वितरण का कार्य किया गया इसमें कभी यह रह गई है कि निरीक्षी पदाधिकारी के पहुँचने व उनके रूकने तक एक भी लाभार्थी के बीच वितरण नहीं हुआ, जबकि यह काम 12 बजे दिन से 3:00 बजे अपराह्न तक पूरा करना था किन्तु बिलम्ब से ही यह 4:30 बजे अपराह्न से किया गया। बिलम्ब से ही टी0एच0आर0 का वितरण हुआ, लाभुक वर्ग ने कोई शिकायत दर्ज नहीं किया । केन्द्र पर

फ्लैक्सी बोर्ड, मीनू चार्ट, लाभार्थियों को दी जानी साम्रगी की सूची व मात्रा , केन्द्र का बोर्ड न होना, ये सभी prominent display न रहना , तथा यह दलील देना कि ये सब बाते कुछ विशेष परिस्थितिवश हुई है। सेविका के दायित्वों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। अतः न्यायालय सेविका को एक सुधार का मौका देते हुए चयन मुक्ति आदेश को खंडित करती है ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक तरफ से आरोप गठित किए जाने पर दो तरफ के दंड नियमतः उचित नहीं दिखता है, एक तो सेविका को चयन मुक्त किया ही गया दुसरा आर्थिक दंड यह भी सही प्रतीत नहीं होता है। सेविका को आर्थिक दंड तीन महीने का टी0एच0आर0 की राशि के समतुल्य जो भी उस अवधि के लिए बनता है आर्थिक दंड को बरकरार रखती है, ये आर्थिक दंड कोषागार में विभागीय शीर्ष में जमा किए जाने चाहिए। ऐसा इसलिए भी कि आर्थिक दंड जमा करने के बाद सेविका को महसुस होगा कि भविष्य में भी वे केन्द्र का समुचित संचालन के लिए ससमय कियाशील रहेंगी। यह न्यायालय आदेश निर्गत तिथि से सेविका का चयन बरकरार रखती है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.4.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.4.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा